

निर्णय व इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर
प्रकरण संख्या : 104/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

ज्याना देवी पुत्री सोहन लाल पत्नी श्रवण लाल जाति जाट, निवासी ग्राम कोदर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर हाल ग्राम धानक्या, तहसील व जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. महेन्द्र चौधरी पुत्र श्री सत्यनारायण
2. मनभर देवी पत्नी स्व. श्री सोहन लाल
जाति जाट, निवासी ग्राम कोदर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. उप पंजीयक बगरू, जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार बगरू, जिला जयपुर।
5. श्रीमती मुक्ता राव आर.ए.एस. सहायक कलक्टर, जयपुर द्वितीय।

अप्रार्थीगण



मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 आर.टी.एक्ट 1955 बाबत
सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या
67/2023 व उनवानी ज्याना देवी बनाम महेन्द्र चौधरी व अन्य को
अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थित:-

1. श्री कुलदीप शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री राजकुमार गठाला अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 21.10.2024


1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय के समक्ष प्रकरण संख्या 67/2023 व उनवानी ज्याना देवी बनाम महेन्द्र चौधरी व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर द्वितीय, जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 17 की ओर से अधिवक्ता श्री राजकुमार गठाला ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि गत तारीख पेशी दिनांक 26.07.2024 को प्रार्थिया द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी पी सी

जिला कलक्टर
जयपुर



- प्रस्तुत किया तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित किया कि आदेश 7 नियम 11 सी पी सी का निस्तारण किये जाने से पूर्व प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 11 नियम 12 व 14 सी पी सी पर सुनवाई किया जाना न्यायहित में आवश्यक है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई सुनवाई किये बिना प्रार्थिया को आदेश 7 नियम 11सी पी सी के तहत आदेश पारित कर उसका वाद खारिज किये जाने का कथन किया है। दिनांक 29.07.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 के पिता सत्यनारायण व अन्य दो तीन व्यक्तियों के साथ अप्रार्थी संख्या 5 के कक्ष के बाहर खडे थे तथा उनके द्वारा कथन किये जा रहे थे कि हमने न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से सांठ गांठ कर ली है तथा दिनांक 30.07.2024 की तारीख पेशी पर न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश नियम 11 सी पी सी के प्रार्थना पत्र के आधार पर खारिज कर दिया जावेगा। यदि उक्त वाद को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित नहीं किया गया तो अधीनस्थ न्यायालय अप्रार्थी संख्या 1 प्रतिवादी के प्रभाव में आकर मनमाने तरीके से अप्रार्थी संख्या-1 के हक में प्रकरण का निस्तारण कर देंगे। अतः उक्त प्रकरण को सुनवाई हेतु अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरित करने के आदेश फरमावें।
5. अप्रार्थी संख्या 1 के सुयोग्य अधिवक्ता ने उक्त तर्कों का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी ने जानबूझ कर प्रकरण के निस्तारण में देरी किये जाने की मन्शा से झूठे तथ्य अंकित करते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है, परन्तु चूंकि प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने पर शंका जाहिर की है। इसलिए न्यायहित में इस प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जाता है, तो कोई आपत्ति नहीं है।
 6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
 7. प्रार्थी ने सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय के पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है, किन्तु न्याय का नैसर्गिक सिद्धान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता भी उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने पर सहमत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाता है।
 8. सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 67/2023 व उनवानी ज्याना देवी बनाम महेन्द्र चौधरी व अन्य को न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) में अन्तरण किया जाता है। पक्षकारान प्रकरण में अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 19.11.2024 को न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) में उपस्थित हो।




जिला कलक्टर
जयपुर

उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का गुणावगुण व मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करे।

निर्णय की प्रति न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फ़ैसल हो।



निर्णय आज दिनांक 21.10.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर